संख्या– 34 W/9–9–2011–160ज/11

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश।

नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9

लखनऊः दिनांकः 14 मई, 2012

विषय–वर्ष 2012–13 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा दिये जाने वाले शुल्कों की वसूली के ठेकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या–617/9–9–2012– 160ज/11 दिनांक 05.04.2012 एवं संख्या 618/9–9–2012–277ज/11 दिनांक 05.04.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से **प्रकरण में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–मं0 1/9–9–2012–277ज/11 दिनांक 29.03.2012, संख्या–580/9–9–2012–277ज/11 दिनांक 30.03.2012, संख्या–एम03/9–9–2012–160ज/11 दिनांक 30.03.2012 एवं संख्या–592/9–9–2012–160ज/11 दिनांक 02.04.2012, को अवक्रमित करते हुए विज्ञापन/प्रचार से सम्बन्धित ठेकों को स्थगित किये जाने एवं वर्ष 2012–13 हेतु नये सिरे से ठेके उठाने की प्रकिया प्रारम्भ किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।**

2. उक्त के सम्बन्ध में निकायों द्वारा कतिपय पृच्छायें की गयी हैं। अतः उपर्युक्त निर्गत शासनादेशों में पारित निर्देशों के क्रम में मुझे स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि **नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा दिये जाने वाले शुल्कों की वसूली के ठेकों के सम्बन्ध में समस्त प्रकरणों का गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कर विधि सम्मत कार्यवाही की जाये। यदि आवश्यक हो तो निकाय स्तर पर प्रकरण में विधिक राय भी प्राप्त की जाय। किसी ठेकेदार द्वारा यदि अनुबन्ध के अनुकूल कार्य नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।**

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
14/5/2012
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पचायत
निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
3. मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग के निजी सचिव को मा0 मंत्री जी
अवलोकनार्थ।
4. नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
16/5/2012

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या 61[illegible] /[illegible]-9-2012-160ज/2011

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9

लखनऊ: दिनांक [illegible] अप्रैल, 2012

विषय :-- वर्ष 2012–2013 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा दिये जाने वाले शुल्कों की वसूली के ठेकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश सं0 एम0 3/09-09-2012-160ज/11 दिनांक 30.03.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि शुल्कों की वसूली सम्बन्धी ठेके वर्ष 2012--2013 के लिये अग्रिम आदेशों तक न दिये जायें और जो शुल्कों की वसूली के ठेके दिनांक 31.3.2012 को समाप्त हो रहे हों, उनकी अवधि वर्ष 2012–2013 के लिये अपेक्षित (10 प्रतिशत) वृद्धि के साथ अग्रिम आदेशों तक बढ़ा दी जाय।

2. तत्पश्चात प्रकरण में नगर निकायों में वर्ष 2012–2013 हेतु विभिन्न प्रकार के शुल्कों की वसूली के सम्बन्ध में किये गये ठेकों के विषय में विभागीय स्तर पर शिकायतें प्राप्त होने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या 592/9-9-2012-160ज/11 दिनांक 2.4.2012 द्वारा वर्ष 2012--2013 के लिये किये गये ठेकों को निरस्त कर दिया गया।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2012–2013 हेतु नये सिरे से तत्काल ठेके उठाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि ठेकों के टेण्डर इत्यादि की प्रक्रिया पूर्णरूप से पारदर्शी हो तथा उसका व्यापक प्रचार व प्रसार किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि ठेकों को दिये जाने की कार्यवाही प्रत्येक दशा में पन्द्रह दिनों में सम्पन्न कर ली जाये। नये ठेकों के प्रभावी होने तक विभागीय वसूली सुनिश्चित की जाये।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

ख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
3. मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग के निजी सचिव को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-592/9-9-2012-160ज/11

श्री प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश।

नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक: 02 अप्रैल, 2012

विषय:-वर्ष 2012-2013 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा दिये जाने वाले शुल्कों की वसूली के ठेकों के सम्बन्ध में।

उपयुर्क्त विषयक शासन के पत्र संख्या- संख्या-एम03/9-9-2012-16ज/11, दिनांक 30 मार्च, 2012, जिसके माध्यम से शुल्कों की वसूली सम्बन्धी ठेके वर्ष 2012-2013 के लिए अग्रिम आदेशों तक न दिये जाने और जो शुल्कों की वसूली के ठेके दिनांक 31.3.2012 को समाप्त हो रहे हों, उनकी अवधि वर्ष 2012-2013 के लिए अपेक्षित (10 प्रतिशत) वृद्धि के साथ अग्रिम आदेशों तक बढ़ाने के आदेश दिये गये हैं का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के नगर निकायों में वर्ष 2012-2013 हेतु विभिन्न प्रकार के शुल्कों की वसूली के सम्बन्ध में किये गये ठेकों के विषय में विभागीय स्तर पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अतः तत्काल प्रभाव से वर्ष 2012-2013 के लिए किये गये उक्त ठेकों को निरस्त किया जाता है। पुनः ठेकों की प्रकिया प्रारम्भ करने के लिए यथाशीघ्र निर्देश जारी किये जायेंगे।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
02/04/2012

(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं तिथि तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्तमण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत(द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0)।
3. मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग के निजी सचिव को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।